Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in **E-Mail-cepwdua@gmail.com**

पत्रांक–1184 /06 अधिप्राप्ति/2019 दिनांक– 09/12/2019

"कार्यालय ज्ञाप"

अधीक्षण अभियन्ता 11वॉ वि0/यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र संख्या–2266/86एम0टी0–11/2019 दिनांक–02.08.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के कम में M/s Action Construction Equipment Ltd., Faridabad द्वारा वित्तीय वर्ष–2011–12 में 09 नं0 बैकहो लोडर की आपूर्ति की गयी थी जिनमें से अधिकांश बैकहो लोडरों में तकनीकी खामियां एंव समस्यायें उत्पन्न होने के कारण राजकीय कार्यो में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ–साथ समय की बर्बादी तथा विभाग की छवि भी धूमिल होती है, जिस हेतु M/s Action Construction Equipment Ltd., Faridabad के बैकहो लोडर को क्रय न करने की सहमति व्यक्त करते हुये सम्बन्धित फर्म के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया । उक्त पर इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या–948/06 अधिप्राप्ति/2019 दिनांक–12.09.2019 द्वारा 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अपने कार्यवृत्त, दिनांक–18.10.2019 से प्रकरण में यह अवगत कराया है कि Excavator Backhoe Loader (ACE) जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में क्रय किये गये थे, उनमें कार्यस्थल पर अप्रत्याशित तकनीकी खामियों के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, 11 वां वि0/यां0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून के पत्रांक 2266/86एम0टी0–11/2019 दिनांक 02.08.19 के द्वारा प्राप्त पत्र में इंगित की गयी तकनीकी खामियों के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, 5वां वृत्त (वि0/यां0), लो0नि0वि0 हल्द्वानी के पत्रांक 31 केम्प/13 एम0टी0 बाजपुर–पंचम/2019 दिनांक 27.03.2019 का अवलोकन किया गया जिसमें ACE बैकहो लोडर सं0 0134 के चैसिस टूट जाने के कारण मशीन यांत्रिक खराबी में रही तथा Chassis का टूटना एक गम्भीर डिजाईन फाल्ट/मैटेरियल गुणवत्ता में कमी की तरफ इंगित करता है। इस क्रम में अधिशासी अभियन्ता, वि0/या0 खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून ने अपने पत्रांक 77(i)/कैम्प/2019 दिनांक 10.12.18 द्वारा भी Excavator Backhoe Loader (ACE) संख्या यू0के0 07जी0ए0 916 एवं 917 में आने वाली तकनीकी समस्याओं जैसे आर्म क्रेक एवं चैसिस क्रेक के बारे में लिखा है। इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0 गोपेश्वर के पत्रांक 1642/2प्रा0(यॉ0) दिनांक 24.12.2018 के द्वारा भी उक्त मशीन की तकनीकी खामियों के बारे में लिखा गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में समिति द्वारा Action Construction Equipment Ltd, के पत्र संख्या–ACE/M/2019-20/0708 दिनांक–08.07.2019 का भी संज्ञान लिया गया जिसमें से फर्म द्वारा Psrs 'd' में स्वीकार किया गया है कि कुछ मशीनों में Cracking of Chassis & Arm में Crack की समस्या उत्पन्न हुयी तथा कम्पनी द्वारा उसे Attend किया गया। उक्त पत्र के अन्य बिन्दुओं का भी संज्ञान लिया गया जिसमें कि Company द्वारा Gaurantee period में मशीन को ठीक किया गया। समिति का इसमें यह मानना है कि Chassis का Crack हो जाना व Arm का Crack हो

क्रमशः–2 पर

जाना एक सामान्य घटना नहीं है, अपितु यह किसी गम्भीर डिजाईन फाल्ट/मैटेरियल गुणवत्ता में कमी को इंगित करती है क्योंकि पूरी मशीन का Weight कार्य करते समय भिन्न Forces को Chassis & Arm द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है Chassis व Arm के Crack होने से दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है, जिससे जान व माल की क्षति भी हो सकती है। अधीक्षण अभियन्ता, 11 वां वि0/यां0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून, द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा के आधार पर जो Backhoe Loader 2005, 2006, 2009 में TATA JD/JCB के क्रय किये गये उनमें किसी में भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुयी और वर्तमान में भी सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे है। उक्त सभी अभिलेखों का अध्ययन एवं विचार–विमर्श के उपरान्त समिति इस निर्णय पर पहुँची कि ACE के द्वारा आपूर्ति की गई मशीन में गम्भीर डिजाईन फाल्ट/मैटेरियल गुणवत्ता में कमी दृष्टिगोचर होती है, जिस कारण चैसिस व आर्म क्रेक हो रही है। स्पष्ट है कि इसकी गुणवत्ता पर्वतीय राज्य में कार्य करने हेतु पूर्णतया उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है।

समिति द्वारा (ACE) मशीन के निर्माता Action Construction Equipment Ltd, 4th Floor, Pinnacle, Surajkud, Faridabad, NCR द्वारा निर्मित बैकहो लोडर्स को अगले 3 वर्षों के लिये लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में न खरीदने का निर्णय लिये जाने की संस्तुति की है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि यदि भविष्य में कम्पन्नी द्वारा अपने गम्भीर डिजाईन फाल्ट/मैटेरियल गुणवत्ता को ठीक कर लिया जाता है, तथा अन्य पर्वतीय राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश आदि से सकारात्मक रिपोर्ट आती है तो तीन वर्ष के बाद समिति उक्त निर्णय पर पुर्नविचार करते हुये यथोचित निर्णय लेगी।

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी उपरोक्त आख्या पर सम्यक्‌विचारोपरान्त ACE मशीन के निर्माता Action Construction Equipment Ltd, 4th Floor, Pinnacle, Surajkud, Faridabad, NCR द्वारा निर्मित बैकहो लोडर्स को अगले 3 वर्षों के लिये लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में नहीं खरीदने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है।

ह0/–
(इं0 हरिओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून ।
2–मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II,/रा0मा0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0यू0/ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी/पौड़ी/अल्मोड़ा।
3–समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ...वां वृत्त, लो0नि0वि0,...............................को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश से अपने अधीनस्थ खण्डों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
4–अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5–गार्ड पत्रावली हेतु।

IT head
11-12-19

प्रमुख अभियन्ता
5/12/19